भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2036

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई संबंधी रिपोर्ट

2036. श्री सुखदेव भगतः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीएजी की पीएमएफबीवाई संबंधी 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि 75 प्रतिशत बीमा दावे बड़े कृषि व्यवसायों के पक्ष में हैं, जबकि केवल 25 प्रतिशत छोटे किसानों को समय पर भुगतान मिलता है, वहीं 50 प्रतिशत को छह महीने से अधिक की देरी का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे देश के 85 प्रतिशत किसान छोटी जोत वाले हैं; और

(ग) सरकार बड़े कॉर्पोरेट फार्मों का पक्ष लेने के बजाय, योजना के तहत न्यायसंगत और समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): वर्ष 2023 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) का सीएजी द्वारा कोई विशिष्ट ऑडिट नहीं किया गया है। देश के 85% से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसान हैं।

सरकार ने योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे कि योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, राज्यों को स्केल ऑफ फ़ाइनेंस या औसत उपज के अनुमानित मूल्य के आधार पर बीमा राशि तय करने का विकल्प देना, एन.सी.आई.पी. पर सीधे अपलोड करने के लिए सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा एकत्र करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन की अनुमति देना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.) के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, पी.एफ.एम.एस. क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एन.सी.आई.पी. पर दावों की गणना और निपटान के लिए डिजीक्लेम मॉड्यूल को विकसित करना, किसानों द्वारा अपने आवेदनों की स्थिति की जांच करने के लिए एप्लिकेशन विकसित करना और जमीनी स्तर पर नामांकन के लिए सीएससी के माध्यम से किसानों का नामांकन आदि।

पी.एम.एफ.बी.वाई. में बेहतर तकनीक के इस्तेमाल की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, किसानों को योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.) और मध्यस्थ नामांकन के लिए आवेदन (एआईडीई) ऐप विकसित किया गया है। किसान पोर्टल और ऐप के माध्यम से स्वयं का बीमा कर सकते हैं और अपने आवेदन, दावों आदि की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के तहत ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को भी किसानों को नामांकित करने और योजना के तहत कवरेज, दावों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट आदि के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए लगाया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के माध्यम से विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों को शामिल करके प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत समयानुकूल और पारदर्शी उपज अनुमान लगाने के लिए पायलट अध्ययन किए हैं। इन पायलट अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर और स्टेकहोल्डर्स और तकनीकी परामर्श के साथ विचार-विमर्श के बाद, खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए और खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल के लिए **यस-टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** शुरू किया गया है। सरकार ने फसल नुकसान के आकलन में सुधार और किसानों के लिए समय पर बीमा दावों का भुगतान प्राप्त करने के लिए पारंपरिक फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) आधारित उपज अनुमान के साथ-साथ प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान को कार्यान्वित किया है। इस पहल के तहत, यस-टेक से प्राप्त उपज को न्यूनतम 30% वेटेज अनिवार्य रूप से दिया जाना आवश्यक है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

******